81

831

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 R4277-II-16

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 21-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हरिओम शर्मा तत्कालीन पटवारी,
निवासी– दुबे कालोनी अशोकनगर
तहसील व जिला अशोकनगर(म.प्र.)

----आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर

----अनावेदक

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
21-12-2016

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू./री1/2016 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2016, के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (1) के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदक पूर्व में तहसील अशोकनगर में पटवारी के पद पर पदस्थ था वर्तमान में तहसील पिपरई में पदस्थ है।

2. यहकि, अशोकनगर मौजा के तुलसी सरोवर तालाब की पार के पीछ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 के पुराने नक्शा जीड़–सीड़ होने से अधीक्षक भू–अभिलेख, अशोकनगर द्वारा नवीन नक्शा संशोधित किया गया था। आवेदक द्वारा केवल पुरानी नक्शा का मिलान किया गया था अर्थात आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 623 एवं 624 पर कोई अवैध निर्माण नहीं कराया गया है और किसी भी शासकीय अभिलेख में छेड़खनी नहीं की गई है।

3. यहकि, सर्वे क्रमांक 624 एवं 626 के बटांकन हेतु विजय स्वरूप पुत्र आनेद स्वरूप द्वारा तहसीलदार महोदय, अशोकनगर के समक्ष आवेदन किया गया था जिस पर प्रकरण क्रमांक

(xxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 4277–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अ... आदि के हस्ता...
06–01–17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक क्यू/री–1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8–12–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा एंव जी0पी0नायक तथा मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि मामला पटवारी के विरूद्व कार्यवाही का है इसलिये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि मूल मामला तुलसी सरोवर तालाब की पार के पीछे की भूमि सर्वे कमांक 623 एंव 624 के नक्शा विवाद पर भूमि की सीमाओं के बटॉकन पर आधारित होने से शासकीय अभिलेख में छेड़खानी करने के आधार पर पटवारी पर आरोप लगाये गये हैं इसलिये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी श्रवण योग्य है। उभय पक्ष के अभिभाषकों तर्को पर विचार करने एंव संहिता की धारा 104 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इस धारा के अंतर्गत पटवारी के हलकों की विरचना तथा उनमें	

निगरानी प्र0क0 4277-दो/2016

पटवारियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। मांगीलाल विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा अन्य 1995 रा0नि0 67 में न्यायमूर्ति श्री आर0डी0शुक्ला म0प्र0हाई कोर्ट एंव चन्द्रमणि प्रसाद विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा अन्य एक 1994 रा0नि0 217 में न्यायमूर्ति श्री एस0के0दुबे तथा न्यायमूर्ति श्री एस0के0चावला ने व्यवस्था दी है कि यद्वपि एम0पी0सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के अंतर्गत विभागीय जांच करके पटवारी को सेवामुक्त किया गया, परन्तु ऐसा आदेश धारा 104 (2) के अंतर्गत माना जायेगा। इसलिये पटवारी को सेवा मुक्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील पुनरीक्षण धारा 46 ई के अंतर्गत बर्जित नहीं है। स्पष्ट है कि पटवारी के विरूद्ध अंतरिम आदेश से की गई कार्यवाही के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है।

4/ कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर के पत्र कमांक 1553/भू अभि./ स्था/2016 दि. 29-11-16 के अवलोकन पर पाया गया कि इस पत्र में इस प्रकार अंकन कर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये है :-

> तुलसी सरोबर तालाब की पार के पीछे स्थित सर्वे कमांक 623 एंव 624 में अवैध निर्माण कराये जाने एंव शासकीय अभिलेखों में छेड़खानी किये जाने के संबंध में तत्कालीन पटवारी अशोकनगर श्री हरओम शर्मा वर्तमान पदस्थापना पिपरई के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय व्दारा प्रचलित नस्ती पर पटवारी श्री हरिओम शर्मा के निलम्बन एंव एफ0आई0आर0 की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। अतः आप संबंधित पटवारी श्री हरिओम शर्मा के विरूद्ध निलम्बन एंव एफ0आई0आर0 की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

अर्थात अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक क्यू/री-1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-12-2016 से कलेक्टर के आदेश का पालन किया है। जब पटवारी व्दारा किये

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 4277-दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अ आदि के हस्ता.
	गये दोष से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया, स्थिति यह है कि तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष विजय स्वरूप पुत्र आनन्दस्वरूप ने सर्वे कमांक 623 एंव 624 के बटांकन का आवेदन दिया था जिस पर प्रकरण कमांक 12 अ-3/15-16 कायम होकर राजस्व निरीक्षक से बटांकन प्रस्ताव लिये गये हैं एंव 29-1-16 को बटांकन आदेश दिया गया है। जहॉ तक नक्शे में सॅशोधन आदि का प्रश्न है ? अभिलेख अनुसार नक्शे में सॅशोधन अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा किया गया है जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख के हस्ताक्षर हैं जबकि अपचारी पटवारी के पुराने नक्शा से नवीन नक्शा के मिलान (कम्पेयर) के हस्ताक्षर है न कि नक्शा सॅशोधित करने के हस्ताक्षर है। समस्त कार्यवाही तहसील-स्तर पर एंव अधीक्षक भू अभिलेख के स्तर पर हुई है जिसके कारण पत्र दिनांक 29-11-16 से पटवारी पर दोषारोपण कर निलम्बन की कार्यवाही कराने का निर्णय लेना एंव इसी कम में अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्र0क0 क्यू/री-1/2016 में आदेश दिनांक 8-12-2016 पारित करना दूषित कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोकनगर व्दारा पत्र	

Xxxix(a)-BR(h)-11

-5-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 4277–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अ... आदि के हस्ता...
	कमांक 1553/भू अभि./ स्था/2016 दिनांक 29–11–16 से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को दिये गये निर्देश तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक क्यू/री–1/2016 में पारित आदेश दिनांक 8–12–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	